89

28

समक्ष : माननी राजस्व मण्डल म.प्र ग्वालियर

निगरानी /2018 निगरानी-5880/2018/छतरपुर/भू.रा.

विन्दा तनय मुन्नी लाल निवासी ग्राम कैडी तहसील छतरपुर जिला छतरपुर म.प्र0.

.....आवेदक

विरूद्ध

म0प्र0 शासन द्वारा कलेक्टर छतरपुर म0प्र0

.....अनावेदक

निगरानी आवेदन पत्र अंतर्गत म.प्र. भू राजस्व सहिता 1959 की 50 के तहत विरूद्ध कलेक्टर छतरपुर के प्रकरण क 14/स्व.निगरानी/अ–19/2005–06 मे पारित आदेश दिनांक 18.10.2007के विरूद्ध।

श्रीमान जी ,

आवेदक की ओर से आवेदन पत्र निम्न प्रकार है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार हैकि–

1. यहकि, आवेदक उक्त भूमि सर्वे क 1935 ,1938 ,1946 462 पर काफी लम्बे से खसरे मे भूमि स्वामी के रूपम नाम इन्द्राज है परन्तु आवेदक को वगैर सूचना व सुनवाई का मोका दिये वगैर किसी आदेश के कम्प्यूटर खसरा में भूमि शासकीय अकित कर दी गई जिसका कोई भी आदेश व रिकार्ड नही है। जिसका कोई भी आदेश का कोई रिकार्ड उपलब्ध नही है वगैर किसी आदेश के जो आलोच्य आदेश पारित किया गया हे वह आलोच्य आदेश उचित एव न्याय संगत न होकर निरस्त योग्य है जिससे दुखित होकर आवेदक द्वारा निगरानी निम्न आधारो पर प्रस्तुत की है।

आधार

1. यहकि, अधिनस्थ न्यायालय का आलोच्य आदेश उचित एव न्या संगत न होने से निरस्त योग्य है।

2. यहकि, आवेदक उक्त भूमि पर काफी लम्बे समय से रहकर अपना जीवन यापन कर रहा है वकायदा खसरो मे नाम भी अकित है परन्तु आवेदक को वगैर सूचना व सुनवाई का मोका दिये वगैर आदेश के आवेदक की भूमि को शासकीय कर दिया गया जो उचित एंव न्याय संगत नही है।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांकनिगरानी-5880/2018/छतरपुर/भू.रा. विन्दा विरूद्ध म.प्र.शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
30-10-2018	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक विन्दा की ओर से अभिभाषक श्री सुनील सिंह जादौन उपस्थित । आवेदक के द्वारा कलेक्टर छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 14/स्व.निगरानी/अ-19/2005-06 में पारित आदेश दिनांक 18-10-2007 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 19-09-2018 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। प्रकरण में कायमी (Admission) पर निर्णय लिया जाना है । 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – "1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ख) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।" 4. कलेक्टर के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-	

राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ख) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित संभागीय आयुक्त है । अतः उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर आयुक्त सागर संभाग सागर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा ।

5. अतः उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण आयुक्त सागर संभाग सागर को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 26-12-2018 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय में भेज जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

(आर.के. जैन)
सदस्य
30/10/18